RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16, अंक-4, सितम्बर अक्टूबर नवम्बर 2023

रासो
त्रैमासिक शोध पत्रिका
2005
॥ स्वस्ति पन्थामनु चरेम् ॥

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16	अंक - 4	सितम्बर-अक्टूबर-नवम्बर-2023

सम्पादक

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक

कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* **प्रो. जे. पी. शर्मा** - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

* **प्रो. विभा उपाध्याय** - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
* **नर्मदा प्रसाद उपाध्याय** - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
* **प्रो. टी.के. माथुर** - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
* **डॉ. रमेश अग्रवाल** - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
* **डॉ. गौरव बिस्सा** - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
* **डॉ. बीना शर्मा** - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
* **प्रो. शोभा आर. मिश्रा** - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
* **डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी** - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक
डॉ. रीता पारीक
प्राचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक
डॉ. मृत्युंजय शर्मा
सह-आचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक
डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन
मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव
व्यवस्थापकीय कार्यालय
सृजन संस्थान,
आचमन, वेद विहार,
लोहाखान, अजमेर-06
दूरभाष : 0145-2426610
e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :
पुष्पा शर्मा
सृजन संस्थान,
द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,
अजमेर

☆ मुद्रक :
मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,
केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :
श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स
132, पंचवटी कॉलोनी,
अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक) संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)
कृपया चैक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स, अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

राजस्थान के जोधपुर के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रवर्तनीय की विवेचना

कमलेश कुमार अटल
सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन में जोधपुर राज्य का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट रहा है। पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना के विकास में जोधपुर एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा। यद्यपि यहाँ की जनता स्वभावतः शांतिप्रिय तथा सामंजस्यवादी रही, फिर भी समय-समय पर राज्य की निरंकुशता, सामन्ती शोषण और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष प्रकट होता रहा। यही असंतोष आगे चलकर संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बना।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक जोधपुर राज्य में राजा और प्रजा के बीच सामान्यतः सामंजस्य बना रहा, परन्तु सामन्ती व्यवस्था के अंतर्गत जागीरदारों द्वारा बेगार प्रथा, अत्यधिक कर-वसूली और कृषकों पर अत्याचार ने जनजीवन को प्रभावित किया। यह असंतोष आरम्भ में असंगठित था, किन्तु धीरे-धीरे राजनीतिक चेतना में परिवर्तित होने लगा। सन् 1843 में महाराजा मानसिंह की मृत्यु के पश्चात् तखतसिंह के शासनकाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप तीव्र हो गया। फ्रेंज, मौथ हेड और मॉक मैसन जैसे राजनीतिक एजेंटों के प्रभाव से राज्य की स्वायत्तता लगभग समाप्त हो गई और शासन अंग्रेजी निर्देशों के अनुसार संचालित होने लगा। इस स्थिति से न केवल सामान्य जनता, बल्कि कई जागीरदार और सामन्त भी असंतुष्ट हो गए।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यह असंतोष खुलकर सामने आया। जोधपुर राज्य में आउवा क्रान्ति के रूप में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध देखने को मिला। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह अंग्रेजी प्रभुत्व और देशी शासकों की निर्बल नीति के विरोध का प्रतीक था। यद्यपि यह क्रान्ति सफल नहीं हो सकी, परन्तु इसने जोधपुर में राष्ट्रीय आन्दोलन की वैचारिक नींव रखी और भविष्य के संघर्षों को दिशा प्रदान की।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जोधपुर राज्य में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार सांस्कृतिक और साहित्यिक माध्यमों से हुआ। केसरी सिंह बारहठ, जोरावर सिंह बारहठ और प्रताप सिंह बारहठ जैसे क्रान्तिकारी कवियों ने अपने ओजस्वी साहित्य के माध्यम से राजपूतों और जनता में राष्ट्रप्रेम, आत्मगौरव और बलिदान की भावना का संचार किया। 'चेतावनी रा चुंगटिया' जैसे काव्य-ग्रंथों ने न केवल विदेशी सत्ता, बल्कि सामन्ती व्यवस्था की कायरता और अन्यायपूर्ण नीतियों पर भी तीखा प्रहार किया। इस प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोधपुर के राष्ट्रीय आन्दोलन की एक सशक्त प्रवृत्ति के रूप में उभरा।

1930 के दशक में जोधपुर का राष्ट्रीय आन्दोलन अधिक संगठित और जनाधारित रूप में सामने

शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

आया। प्रजामण्डल आन्दोलन के माध्यम से जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उत्तरदायी शासन, नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रशासनिक सुधारों की माँगों ने आन्दोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाया। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर प्रजामण्डल ने सभाओं, आंदोलनों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से राजनीतिक चेतना को गाँव-गाँव तक पहुँचाया।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले अखिल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रभाव भी जोधपुर राज्य पर स्पष्ट रूप से पड़ा। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलन के समय जोधपुर की जनता ने सक्रिय भागीदारी की। यद्यपि रियासती शासन ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए दमनात्मक उपाय अपनाए, फिर भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर आधारित संघर्ष ने आन्दोलन को नैतिक शक्ति प्रदान की।

जोधपुर के राष्ट्रीय आन्दोलन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुधारों से भी जुड़ा रहा। शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के विरोध, जनजागरण और प्रेस की भूमिका ने आन्दोलन को व्यापक आधार प्रदान किया। इस प्रकार जोधपुर का राष्ट्रीय आन्दोलन एक बहुआयामी संघर्ष के रूप में विकसित हुआ।

आउवा की सशस्त्र क्रांति :

आउवा की सशस्त्र क्रान्ति राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और निर्णायक घटना थी। यह क्रान्ति न केवल अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक थी, बल्कि जोधपुर राज्य में सामन्ती असंतोष और राजनीतिक चेतना के विस्फोट का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। शुक्रवार, 21 अगस्त 1857 को इस क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जब एरनपुरा छावनी के सैनिक आबू जाने के उद्देश्य से सिरोही राज्य के अनादरा गाँव पहुँचे। यहाँ सिरोही के महाराव से असंतुष्ट भटाना क्षेत्र के ठाकुर नाथूसिंह देवड़ा तथा रोहुआ और नींबज के ठाकुर भी इस सैन्य दल में सम्मिलित हो गए। ठाकुर नाथूसिंह देवड़ा ने इन सैनिकों में विद्रोह की भावना को प्रबल किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

आबू पहुँचने पर इस सैन्य टुकड़ी ने वहाँ निवास कर रहे अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अनेक अंग्रेज मारे गए। इस घटना ने विद्रोह को खुला और उग्र रूप प्रदान किया। इसके पश्चात् जब यह सेना पुनः एरनपुरा छावनी पहुँची, तो वहाँ के अन्य सैनिक भी विद्रोहियों के साथ मिल गए। सैनिकों ने छावनी के अस्त्र-शस्त्र, बारूद तथा अन्य सैन्य सामग्री को लूट लिया और छावनी एवं रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। यह विद्रोह अब केवल सैनिक असंतोष न रहकर संगठित क्रान्ति का रूप धारण कर चुका था। इसके बाद यह सैन्य दल दिल्ली की ओर प्रस्थान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा।

25 अगस्त 1857 को यह क्रान्तिकारी सेना जोधपुर राज्य के आउवा गाँव पहुँची। यहाँ के जागीरदार ठाकुर खुशालसिंह चम्पावत पहले से ही जोधपुर महाराजा की नीतियों और अंग्रेजी प्रभाव से असंतुष्ट थे। क्रान्तिकारियों के साहसिक कृत्यों से प्रभावित होकर ठाकुर खुशालसिंह ने उन्हें अपने रावले में विश्राम और आश्रय प्रदान किया। यही से आउवा क्रान्ति को संगठित नेतृत्व प्राप्त हुआ। क्रान्तिकारी सैनिकों के आग्रह पर ठाकुर खुशालसिंह ने इस विद्रोही दल का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, जिससे आन्दोलन को एक सुदृढ़

सामन्ती समर्थन मिला।

इस क्रान्तिकारी सेना में अनेक अनुभवी भारतीय सैनिक सम्मिलित थे, जिनमें मुख्य रिसालदार अब्बास अली, दफेदार मोती खाँ, तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रसाद सिंह तथा मेहरबान सिंह प्रमुख थे। ठाकुर खुशालसिंह के नेतृत्व में अब यह आन्दोलन और अधिक व्यापक होता गया। शीघ्र ही आसपास के अनेक ठाकुर अपने-अपने सैन्य दलों के साथ इस संघर्ष में सम्मिलित हो गए। आलनियावास के ठाकुर अजीतसिंह, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह कुम्पावत, गूलर के ठाकुर विशनसिंह मेड़तिया, लांबिया, रड्डावास, भिवालिया, बांता और बींजावास के ठाकुरों का इस क्रान्ति में सम्मिलित होना इस बात का प्रमाण था कि यह आन्दोलन केवल स्थानीय विद्रोह नहीं, बल्कि सामन्ती और राष्ट्रीय असंतोष की अभिव्यक्ति बन चुका था।

आउवा की सशस्त्र क्रान्ति के विस्तार के साथ ही इसके स्वरूप में व्यापकता और तीव्रता आ गई। सिरोही राज्य के भटाना क्षेत्र के ठाकुर नाथूसिंह देवड़ा, रोहुआ और नींबज के ठाकुरों के अतिरिक्त मेवाड़ राज्य के सलूम्बर, कोठारिया, रूपनगर, आसीन्द तथा लासाणी के ठाकुर भी अपने-अपने सैन्य बल के साथ आकर इस विद्रोही दल में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार विभिन्न रियासतों के सामन्तों के सहयोग से आउवा के ठाकुर खुशालसिंह के नेतृत्व में लगभग छह हजार सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना एकत्र हो गई। आउवा को विद्रोह का केन्द्र बनाकर अंग्रेजी सत्ता और जोधपुर राज्य की नीतियों के विरुद्ध संगठित संघर्ष की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गईं।

जब मेरवाड़ा (अजमेर) के चीफ कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सर पैट्रिक जॉन लॉरेन्स को इस विद्रोह की सूचना प्राप्त हुई, तो उसने इसे समय रहते दबाने के उद्देश्य से जोधपुर महाराजा तखतसिंह को सैन्य सहायता भेजने का आदेश दिया। इस आदेश के अनुपालन में महाराजा तखतसिंह राठौड़ ने राव राजमल सोढ़ा और किलेदार अनाड़सिंह पंवार को एक हजार सशस्त्र सैनिकों और चार तोपों के साथ आउवा की ओर भेजा। इसके पश्चात् कुशलराज सिंघवी तथा दीवान विजयमल मेहता को भी लगभग पाँच सौ घुड़सवारों की अतिरिक्त सेना के साथ विद्रोह को कुचलने के लिए रवाना किया गया। यह संयुक्त शाही सेना मारवाड़ जंक्शन के निकट काठवा क्षेत्र में स्थित बिदुड़ा नामक गाँव में डेरा डालकर आगे की रणनीति बनाने लगी।

आठ सितम्बर 1857 को विद्रोही सेना और जोधपुर राज्य की शाही सेना के मध्य भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध में आउवा की सेना ने अद्भुत साहस और संगठन का परिचय दिया, जिसके सामने जोधपुर की शाही सेना टिक नहीं सकी। युद्ध के दौरान सेनानायक किलेदार अनाड़सिंह पंवार तथा फौजदार राजमल लोढ़ा मारे गए। इस पराजय से घबराकर रायबहादुर विजयमल और कुशलराज अपने शेष सैनिकों के साथ युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। इस विजय से आउवा के क्रान्तिकारियों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया और अंग्रेजी सत्ता की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा।

जब इस पराजय का समाचार अजमेर पहुँचा, तो अंग्रेजी शासन अत्यन्त विचलित हो उठा। इसके परिणामस्वरूप अजमेर से एजेंट मि. लॉरेन्स को भारी सैन्य सामग्री और सुदृढ़ सेना के साथ आउवा भेजा गया। उधर जोधपुर का राजनीतिक एजेंट कप्तान मॉक मैसन भी अपनी विशाल और सुसज्जित सेना लेकर आउवा की ओर बढ़ा। इन दोनों सेनाओं ने मिलकर 18 सितम्बर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर क्रान्तिकारियों पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अत्यन्त भीषण मारकाट देखने को मिली। इस संघर्ष में अंग्रेज अधिकारी कप्तान मॉक मैसन मारा गया। क्रान्तिकारियों ने उसके शव

को गाँव में घुमाया और बाद में उसका सिर काटकर आउवा गढ़ के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। यह घटना अंग्रेजी शासन के लिए अत्यन्त अपमानजनक सिद्ध हुई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और ए.जी.जी. लॉरेन्स युद्धभूमि छोड़कर अजमेर की ओर भाग गया।

इस ऐतिहासिक विजय का तत्कालीन लोककाव्य में भी वर्णन मिलता है, जो आउवा की क्रान्ति की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। कवि ने ढोल-नगाड़ों और रणभेरी की गूंज के साथ क्रान्तिकारियों के शौर्य का गुणगान करते हुए आउवा को सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रसिद्ध बताया है। इस लोककाव्य से स्पष्ट होता है कि आउवा की विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि वह जनमानस में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी थी।

इस विजय के पश्चात् क्रान्तिकारी सैनिकों ने 'चलो दिल्ली, मारो फिरंगी' और 'सुगली माता की जय-जयकार' के नारों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में अधिकांश क्रान्तिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जबकि आउवा के ठाकुर खुशालसिंह अपनी लगभग सात सौ सैनिकों की सेना के साथ आउवा में ही रुके रहे। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने मार्ग में रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, परन्तु नारनौल में अंग्रेजी सेना के साथ हुए निर्णायक युद्ध में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के पश्चात् ठाकुर शिवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

इसके बाद शेष बचे क्रान्तिकारी सैनिक शेखावटी क्षेत्र की ओर चले गए, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी शासन और उसके समर्थकों के विरुद्ध लूटमार और विद्रोही गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दीं। ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठोर दमनात्मक नीति अपनाई और इन क्रान्तिकारियों की जागीरें जब्त कर लीं। इस प्रकार आउवा की सशस्त्र क्रान्ति, यद्यपि अन्ततः असफल रही, फिर भी उसने पश्चिमी राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की और जोधपुर राज्य में राष्ट्रीय चेतना को स्थायी रूप से जागृत कर दिया।

चेलावास में पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार और जोधपुर राज्य अपमान से बौखला उठे। वायसराय के आदेश पर नसीराबाद और डीसा (पालनपुर) छावनियों से कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना 20 जनवरी 1858 को आउवा भेजी गई। इस सेना ने आउवा गढ़ को घेरकर आक्रमण कर दिया। गढ़ में मौजूद अल्पसंख्यक क्रान्तिकारियों ने साहसपूर्वक प्रतिरोध किया, परन्तु अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाकर किलेदार और कामदार को प्रलोभन देकर गढ़ के द्वार खुलवा लिए। इसके बाद गढ़ में भीषण नरसंहार हुआ।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कछवाह मानसिंह के अनुरोध पर ठाकुर खुशाल सिंह ने युद्ध संचालन का दायित्व लम्बिया ठाकुर को सौंप दिया और स्वयं सारण के पर्वतीय वन क्षेत्र में चले गए। अन्य क्रान्तिकारी सैनिक भी तितर-बितर होकर निकलने लगे। अंग्रेजों के पीछा करने पर सिरीयाली के ठाकुर ने लगभग चौबीस घंटे तक अंग्रेजी सेना को युद्ध में उलझाए रखा, फिर भी 124 क्रान्तिकारी पकड़ लिए गए, जिनमें से 24 को फाँसी दे दी गई। अंग्रेजों ने आउवा गढ़ को ध्वस्त कर गाँव को लूटकर आग लगा दी और जनता पर अमानवीय अत्याचार किए।

अंग्रेजी आतंक के कारण कोई भी जागीरदार ठाकुर खुशाल सिंह को शरण देने का साहस नहीं कर सका। अंततः मेवाड़ के कोठारिया के ठाकुर जोधसिंह ने उन्हें आश्रय दिया। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर

खुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 10 नवम्बर 1860 को उन्हें रिहा तो कर दिया गया, परन्तु जोधपुर राज्य ने उनकी जागीर का बड़ा भाग जब्त कर लिया। श्रावण मास के सोमवार, विक्रम संवत् 1921 की सप्तमी को इस वीर स्वतंत्रता सेनानी का देहावसान हुआ।

स्वतंत्रता आंदोलन का प्रादुर्भाव :

1857 के गदर के पश्चात् जोधपुर राज्य में संगठित स्वतंत्रता आन्दोलन का वास्तविक प्रादुर्भाव बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ। सर्वप्रथम अक्टूबर 1915 में श्री चांदमल सुराणा द्वारा जोधपुर में 'मरुधर मित्र हितकारी सभा' की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जोधपुर नगर पालिका तथा पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी और अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियों का विरोध करना था। सभा ने अपने विरोध को हड़तालों और सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से प्रकट किया, जिससे नगर में राजनीतिक चेतना का प्रसार होने लगा।

सन् 1920 में मारवाड़ राज्य सरकार द्वारा तौल व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए एक सेर को सौ तोला के स्थान पर अस्सी तोला कर दिए जाने से जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। इसी पृष्ठभूमि में श्री चांदमल सुराणा तथा उनके सहयोगियों द्वारा 'मारवाड़ सेवा संघ' की स्थापना की गई। इस संघ के अध्यक्ष श्री चांदमल सुराणा तथा मंत्री श्री किशनलाल बाफना थे। इसके अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं में प्रतापचन्द सोनी, शिवकरण जोशी, जयनारायण व्यास तथा आनन्दराय सुराणा उल्लेखनीय थे। इस संगठन ने राज्य सरकार के विरुद्ध 'मारवाड़ तौल-माप नियंत्रण आन्दोलन' आरम्भ किया, यद्यपि यह आन्दोलन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी इससे जनजागरण को नई दिशा मिली।

इसी कालक्रम में अक्टूबर 1923 में राज्य सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत भेड़-बकरियों जैसे पशुधन को राज्य से बाहर ले जाने की खुली छूट दे दी गई। इसके कुछ ही समय बाद, 1924 में दुधारू पशुओं—गाय और भैंस आदि—को भी राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी गई। इन आदेशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जनता का विरोध खुलकर सामने आने लगा और जोधपुर राज्य में स्वतंत्रता आन्दोलन की गतिविधियाँ और अधिक सक्रिय होती चली गईं।

मारवाड़ सेवा संघ ने आगे चलकर 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' का स्वरूप ग्रहण किया और सन् 1924 में इसका संविधान तैयार कर इसकी विधिवत् स्थापना की गई। स्थापना के पश्चात् हितकारिणी सभा ने दुधारू पशुओं को राज्य से बाहर भेजे जाने के प्रश्न को अपने हाथ में लिया और इस विषय पर तत्कालीन महाराजा श्री उम्मेद सिंह से प्रत्यक्ष विचार-विमर्श किया। सभा के नेताओं ने पशु-निकासी के आदेश के विरुद्ध जन-आक्रोश और जनता की भावनाओं से महाराजा को अवगत कराया। जनदबाव को स्वीकार करते हुए महाराजा ने अगस्त 1924 में यह आदेश वापस ले लिया। इस निर्णय से जनता में अत्यन्त प्रसन्नता व्याप्त हो गई और मारवाड़ हितकारिणी सभा को पहली बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इस विजय के कारण सभा और उसके कार्यकर्ता जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए।

सभा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से राज्य सरकार चिंतित हो उठी। सरकार को आशंका होने लगी कि हितकारिणी सभा का प्रभाव शासन के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए इसे समाप्त करने और

इसके नेताओं के प्रभाव को दबाने के प्रयास आरम्भ कर दिए गए। इसी पृष्ठभूमि में 17 मार्च 1925 को लगभग दो हजार की संख्या में जनता राईका बाग पैलेस पहुँची और मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में महाराजा उम्मेद सिंह से भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मन्त्री श्री सुखदेव प्रसाद को हटाने की माँग प्रस्तुत की। बातचीत के पश्चात् जब भीड़ आश्वस्त होकर लौट गई, तो राज्य सरकार ने इसे हितकारिणी सभा को कुचलने का उपयुक्त अवसर समझा।

21 मार्च 1925 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर श्री चांदमल सुराणा, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण जोशी को देश-निकाला दे दिया। इसके साथ ही श्री जयनारायण व्यास, आनन्दराय सुराणा, अब्दुल रहमान अंसारी, किस्तूरचन्द जोशी, अमरचन्द मूधा और बच्छराज व्यास आदि को 'दस नम्बरी' घोषित कर दिया गया और उन्हें पुलिस थानों में रात्रि बिताने के लिए विवश किया गया। राज्य सरकार ने इन नेताओं पर यह आरोप लगाया कि वे मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जागीरी गाँवों में काश्तकारों को जागीरदारों के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इस दमनात्मक कार्यवाही से स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार अब जनआन्दोलनों को बलपूर्वक दबाने की नीति अपना चुकी थी।

मारवाड़ सेवा संघ ने आगे चलकर 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' का स्वरूप ग्रहण किया और सन् 1924 में इसका संविधान तैयार कर इसकी विधिवत् स्थापना की गई। स्थापना के पश्चात् हितकारिणी सभा ने दुधारू पशुओं को राज्य से बाहर भेजे जाने के प्रश्न को अपने हाथ में लिया और इस विषय पर तत्कालीन महाराजा श्री उम्मेद सिंह से प्रत्यक्ष विचार-विमर्श किया। सभा के नेताओं ने पशु-निकासी के आदेश के विरुद्ध जन-आक्रोश और जनता की भावनाओं से महाराजा को अवगत कराया। जनदबाव को स्वीकार करते हुए महाराजा ने अगस्त 1924 में यह आदेश वापस ले लिया। इस निर्णय से जनता में अत्यन्त प्रसन्नता व्याप्त हो गई और मारवाड़ हितकारिणी सभा को पहली बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इस विजय के कारण सभा और उसके कार्यकर्ता जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए।

सभा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से राज्य सरकार चिंतित हो उठी। सरकार को आशंका होने लगी कि हितकारिणी सभा का प्रभाव शासन के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए इसे समाप्त करने और इसके नेताओं के प्रभाव को दबाने के प्रयास आरम्भ कर दिए गए। इसी पृष्ठभूमि में 17 मार्च 1925 को लगभग दो हजार की संख्या में जनता राईका बाग पैलेस पहुँची और मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में महाराजा उम्मेद सिंह से भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मन्त्री श्री सुखदेव प्रसाद को हटाने की माँग प्रस्तुत की। बातचीत के पश्चात् जब भीड़ आश्वस्त होकर लौट गई, तो राज्य सरकार ने इसे हितकारिणी सभा को कुचलने का उपयुक्त अवसर समझा।

21 मार्च 1925 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर श्री चांदमल सुराणा, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण जोशी को देश-निकाला दे दिया। इसके साथ ही श्री जयनारायण व्यास, आनन्दराय सुराणा, अब्दुल रहमान अंसारी, किस्तूरचन्द जोशी, अमरचन्द मूधा और बच्छराज व्यास आदि को 'दस नम्बरी' घोषित कर दिया गया और उन्हें पुलिस थानों में रात्रि बिताने के लिए विवश किया गया। राज्य सरकार ने इन नेताओं पर यह आरोप लगाया कि वे मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जागीरी गाँवों में काश्तकारों को जागीरदारों के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इस दमनात्मक कार्यवाही से स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार अब जनआन्दोलनों को बलपूर्वक दबाने की नीति अपना चुकी थी।

धानमण्डी में तिरंगा फहराना :

जोधपुर राज्य में राष्ट्रीय चेतना के उभार का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसंग 26 जनवरी 1932 को देखने को मिला, जब मात्र बीस वर्ष की आयु में श्री छगनलाल चौपासनीवाला ने जोधपुर की जूनी धान मण्डी में प्रथम बार तिरंगा झण्डा फहराया। इस साहसिक कार्य से राज्य प्रशासन में हड़कम्प मच गया। पुलिस ने उन्हें बर्बरता से पीटा और घसीटते हुए ले जाने लगी, किंतु गिर जाने के बावजूद उन्होंने तिरंगा ध्वज अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इस देशभक्ति के कार्य के लिए उन्हें दो माह के कारावास का दण्ड दिया गया। यह घटना जोधपुर राज्य में राष्ट्रीय आन्दोलन की तीव्रता और युवाओं की सक्रिय भूमिका का सशक्त प्रतीक बनी।

इसके पश्चात् जब श्री जयनारायण व्यास तथा उनके साथी कारागार से रिहा हुए, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य से सन् 1934 में श्री व्यास, मानमल जैन, छगनलाल चौपासनीवाला, अभयमल जैन आदि के सहयोग से 'मारवाड़ राज्य प्रजामण्डल' की स्थापना की गई। प्रजामण्डल ने शीघ्र ही जनता के अधिकारों की रक्षा, उत्तरदायी शासन की माँग और सामन्ती व्यवस्था के अत्याचारों के विरोध को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। इसकी बढ़ती गतिविधियों से राज्य प्रशासन सतर्क हो गया और सर रोनाल्ड फील्ड ने इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया। इसके अंतर्गत सभाओं और भाषणों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा जयनारायण व्यास के मारवाड़ में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई।

इन प्रतिबंधों के बावजूद प्रजामण्डल की गतिविधियाँ निरन्तर जारी रहीं। सन् 1936 में जब राज्य सरकार ने छात्रों से शिक्षा शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया, तो प्रजामण्डल ने इसका तीव्र विरोध किया। मारवाड़ के बाहर अमरावती, मुम्बई आदि स्थानों पर निवास कर रहे प्रवासी मारवाड़ियों ने सभाएँ आयोजित कर इस आदेश की निन्दा की और राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इस प्रकार मारवाड़ राज्य प्रजामण्डल ने दमन और प्रतिबंधों के बावजूद जनआन्दोलन को जीवित रखते हुए जोधपुर के स्वतंत्रता आन्दोलन को नई दिशा प्रदान की।

सुभाष चन्द्र बोस का जोधपुर आगमन :

सन् 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में विदेश से स्वदेश लौटते समय श्री सुभाषचन्द्र बोस का जोधपुर आगमन जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध हुआ। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जोधपुर राज्य सरकार को समयानुकूल अपने आचार-विचार और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की सलाह दी तथा जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। श्री बोस की इस स्पष्ट और प्रभावशाली सलाह का राज्य सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप श्री जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबन्ध वापस ले लिया गया।

इस अवसर पर श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जोधपुर जेल में जाकर बंदी कार्यकर्ताओं, विशेषकर श्री अचलेश्वर प्रसाद 'मामा' एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से भेंट की। उन्होंने उन्हें निर्भीक होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने और संघर्ष को निरन्तर जारी रखने का आह्वान किया, जिससे जेल में बंद कार्यकर्ताओं का मनोबल अत्यधिक बढ़ा।

इसके पश्चात् 6 दिसम्बर 1938 को श्री सुभाषचन्द्र बोस करांची से कलकत्ता जाते समय विमान द्वारा पुनः जोधपुर आए और रात्रि विश्राम किया। वे इस अवसर पर मारवाड़ लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं

से भेंट करना चाहते थे, परन्तु परिस्थितिवश ऐसा संभव नहीं हो सका। अत: उन्होंने मारवाड़ की जनता और मारवाड़ लोक परिषद् को सम्बोधित एक प्रेरणादायी पत्र लिखा, जिसकी प्रतिलिपि बाद में प्रकाशित ग्रंथ के परिशिष्ट में संलग्न की गई। इस प्रकार श्री सुभाषचन्द्र बोस का जोधपुर आगमन राज्य के स्वतंत्रता आन्दोलन को वैचारिक और नैतिक समर्थन प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ।

मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना :

सन् 1938 में जब जोधपुर राज्य प्रजामण्डल को राज्य सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, तब हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप 16 मई 1938 को जोधपुर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मिलकर मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इससे पूर्व फरवरी 1938 में राज्य के मुख्यमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड ने श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रभाव में यह घोषणा की थी कि जोधपुर रियासत में शीघ्र ही महाराजा के संरक्षण में एक प्रतिनिधि सरकार का गठन किया जाएगा। इस घोषणा ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आशा का संचार किया।

अगस्त 1938 में श्री रणछोड़दास गट्टाणी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें श्री जयनारायण व्यास के देश-निकाला आदेश को वापस लेने तथा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की माँग की गई। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए फरवरी 1939 में श्री व्यास के देश-निकाला आदेश को वापस ले लिया और साथ ही मारवाड़ लोक परिषद् को सभाएँ आयोजित करने और सार्वजनिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना और उसकी प्रारम्भिक सफलताओं ने जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध किया।

डोनाल्ड फील्ड :

आन्दोलन के तीव्र होने के समय मथुरादास माथुर स्वयं को एक जाँबाज़ सैनिक के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से रियासती सेना में भर्ती हुए थे, जिसके कारण उन्हें जोधपुर का प्रथम 'डिक्टेटर' भी कहा जाने लगा। जब यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड को ज्ञात हुई तो उन्होंने मथुरादास माथुर को सेना से निष्कासित कर दिया। इसके पश्चात् मथुरादास माथुर ने वकालत प्रारम्भ की और मारवाड़ लोक परिषद् के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आन्दोलन में जुड़ गए।

एक सार्वजनिक सभा में अपने ओजस्वी भाषण के दौरान उन्होंने सर डोनाल्ड फील्ड को 'मारवाड़ का मुसोलिनी' घोषित कर दिया। इस तीखे वक्तव्य से राज्य सरकार बौखला उठी और मथुरादास माथुर को खुली बगावत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई तथा परबतसर और जालोर के किलों में बंदी बनाकर रखा गया। बाद में लगभग ढाई वर्ष की कठोर कैद के पश्चात् उन्हें रिहा कर दिया गया।

व्यास जी एवं नगर परिषद :

जून 1941 में हुए जोधपुर नगर परिषद् के चुनावों में मारवाड़ लोक परिषद् को बहुमत प्राप्त हुआ और श्री जयनारायण व्यास नगर परिषद् के अध्यक्ष चुने गए। अपने पद पर रहते हुए व्यासजी ने सरकार द्वारा

नगर परिषद् के कार्यों में हस्तक्षेप और मनमाने नियम लागू करने के विरोध में तीव्र आलोचना की। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड ने 14 जुलाई 1941 को व्यासजी को दोषारोपण पत्र (चार्जशीट) जारी किया, जिससे पुनः आन्दोलन भड़क उठा।

इसी वर्ष मारवाड़ के एक हिस्से में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे जन-धन का भारी नुकसान हुआ। लोक परिषद् के सदस्यों ने सक्रिय भाग लेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए धन, वस्त्र और बर्तन आदि का संग्रह कर सहायता पहुँचाई। सितंबर 1941 में राज्य सलाहकार परिषद् के चुनावों की घोषणा पर लोक परिषद् ने इसका बहिष्कार किया।

इस समय जागीरदारों का आतंक बढ़ गया था। वे मनमाने कर, लाग-बाग वसूलने और जनता द्वारा विरोध करने पर मारपीट व अन्य अत्याचार करने लगे। गुन्दोज, नीमाज और चण्डावल के जागीरदारों ने लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं को सभाएँ और जुलूस आयोजित करने से रोका तथा मारपीट और घर जलाने जैसी हरकते कीं।

बोया (बाली) गाँव के ठाकुर ने माफीदार राजपुरोहितों से अन्य किसानों के समान लाग-बाग और बैठ-बैगार वसूलना शुरू किया, जिसका विरोध राजपुरोहितों ने किया। इसके जवाब में ठाकुर ने अपने कारिंदों को आदेश दिया कि सभी राजपुरोहितों, महिलाओं और बच्चों को रावले में बंद किया जाए। ठाकुर के घुड़सवारों ने रात में घेरा डालकर उन्हें गाँव से बाहर रावले में इकट्ठा किया, जहाँ महिलाओं और बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और पुरुष राजपुरोहितों को जंगल में खेजड़ी के पेड़ों से बाँधकर लटका दिया।

चण्डावल काण्ड :

28 मार्च 1942 को जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के उद्देश्य से मारवाड़ लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं का एक जत्था तांगे से चण्डावल गाँव की ओर प्रस्थान किया। इस जानकारी के शीघ्र प्रसार से चण्डावल के जागीरदार सतर्क हो गए। उसने आसपास के अन्य ठाकुरों, सामंतों और जागीरदारों को इकट्ठा किया और तलवारों, भालों, लाठियों व डंडों से लैस होकर कार्यकर्ताओं पर भयंकर हमला कर दिया। इस हमले में कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। तेज धूप में घायल कार्यकर्ता पानी और राहत के लिए तड़पते रहे। चण्डावल के प्रमुख कार्यकर्ता मांगीलाल त्रिवेदी को पहले ही पकड़ कर एक कोठरी में बंद कर रखा गया था।

जागीरदार के इस हिंसक हमले का चण्डावल के एक नौजवान छैलाराम सरगरा ने बहादुरी से मुकाबला किया। इस साहसपूर्ण विरोध के कारण ठाकुर ने उसे पकड़कर गाँव के रावले में लाया। रावले के बाहर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हो गए। ठाकुर ने आदेश दिया कि 'इस हरामजादे के एक सौ एक (101) जूते लगाएँ जाएँ।' उसके कारिंदों ने छैलाराम के सिर पर लगातार 101 जूते मारे, परन्तु छैलाराम हर चोट पर 'भारत माता की जय' का नारा लगाता रहा।

इसके बाद भी छैलाराम ने हार नहीं मानी, किंतु उसकी संपत्ति—खेत, मकान और जायदाद—जब्त कर उसे चण्डावल गाँव की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। इस वीरता और अडिग साहस के कारण छैलाराम आज़ादी संग्राम के उन वीर सैनिकों में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अत्याचार और दमन के बावजूद

कभी झुकने या आत्मसमर्पण करने का नाम नहीं लिया।

गणगौर काण्ड :

जोधपुर राज्य में गणगौर की सवारी किले से निकलते समय जनता के लिए खड़ा होना अनिवार्य था। एक बार जब गणगौर की सवारी शहर में से निकल रही थी, जिसमें शाही लवाजमा और सज-धज पातरियाँ शामिल थीं, तब कर्नल मोहनसिंह और विशनसिंह उस जुलूस का संचालन कर रहे थे।

गांचा बाजार से गुजरते समय जुलूस जैन ब्रदर्स नामक स्टेशनरी दुकान के पास पहुँचा। वहाँ बैठे श्री मानमल जैन और अभयमल जैन ने खड़े होने से इनकार कर दिया। इस असहमति पर दोनों को रस्सों से बांधकर राजदादीजी के नोहरे के पीछे पिंजरे में बंद कर दिया गया। जब इस घटना की जानकारी श्री जयनारायण व्यास को मिली, तो उन्होंने श्री छगनलाल चौपासनीवाला को वार्ता हेतु राईका बाग पैलेस भेजा। तब तक मानमल और अभयमल जैन भी राईका बाग पहुँचे हुए थे। श्री चौपासनीवाला को भी वहाँ बंदी बना लिया गया।

व्यासजी स्वयं राईका बाग पैलेस पहुँचे और वार्ता के पश्चात तीनों बंदियों को मुक्त कराया। इस दौरान सभी लगभग 45 घंटे तक बंदी रहे। इस घटना ने जोधपुर में राजनीतिक चेतना और लोक परिषद् के साहस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

भूख हड़ताल और भारत छोड़ो आन्दोलन :

25-26 मई 1942 को श्री जयनारायण व्यास और मारवाड़ लोक परिषद् के अन्य सदस्यों ने नगर पालिका से त्यागपत्र दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंदियों, विशेषकर महिला कार्यकर्ता श्रीमती महिमा देवी के साथ अमानवीय व्यवहार और घटिया भोजन किया जाता था। इस दमन के विरोध में 41 सत्याग्रही 10 जून 1942 से भूख हड़ताल पर बैठे। महात्मा गांधी ने इसे 'हरिजन सेवक' में प्रकाशित कर पूरे भारत में इसकी निन्दा करवाई।

जेल में भूख हड़ताली सत्याग्रही श्री बाल मुकन्द बिस्सा की 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई। उनकी शहादत के बाद अन्य बंदियों को बेहतर भोजन और व्यवहार मिलने लगा। इस समय जेल में कई प्रमुख नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी थी।

8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रारम्भ होने पर मारवाड़ लोक परिषद् ने जोधपुर में सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने रेलवे व टेलीफोन तार काटने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने, बम विस्फोट और दीवारों पर नारे लिखने जैसी गतिविधियाँ जारी रखीं। इस प्रकार मारवाड़ लोक परिषद् ने जोधपुर में आन्दोलन को जीवित रखते हुए जनता में जागरूकता फैलाई।

जोधपुर बम विस्फोट काण्ड :

अक्टूबर 1942 को दशहरे के दिन जोधपुर में पहला बम विस्फोट स्टेडियम सिनेमा हॉल में हुआ। इस घटना में मुख्य भूमिका श्री लालचन्द जैन और श्री प्रेमराज बोड़ा की रही, जबकि अन्य सहयोगी युवाओं में श्री सोहनलाल लोढ़ा, देवराज सिंघवी, उगमराज मुहणोत, बालकिशन त्रिवेदी और हरमल सिंह शामिल थे। उस दिन 'ब्ल्यूबर्ड' नामक अंग्रेजी फिल्म दिखाई जा रही थी, जिसमें कई अंग्रेज अफसर उपस्थित थे। बम

कुर्सी की सीट के नीचे रखा गया था और गनमेटल से बना तथा फॉसफोरस से सक्रिय किया गया था। विस्फोट बहुत तेज था, जिससे हॉल में भगदड़ मच गई। संयोगवश किसी की मृत्यु नहीं हुई और गंभीर चोटें भी नहीं आईं, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें लगीं। यह घटना जोधपुर में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला सक्रिय बम प्रयास मानी जाती है।

पण्डित नेहरू का जोधपुर आगमन :

जून 1945 में मारवाड़ लोक परिषद् ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 24 अक्टूबर 1945 को नेहरू जोधपुर पहुँचे और जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर जोधपुर महाराजा की ओर से कर्नल मोहनसिंह भाटी ने उनकी अगुवाई की, और राज्य द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। उनके साथ उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी भी थीं।

शाम को स्टेडियम मैदान में विशाल सभा हुई, जिसमें नेहरू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अटूट विश्वास जताते हुए कहा कि 'असली ताकत तलवार में नहीं, तलवार चलाने वाले हाथों में होती है।' उन्होंने जनता को आजादी की जंग में सक्रिय होने का आह्वान किया और मारवाड़ के लोगों को अपने साहस और वीरता के प्रति प्रेरित किया। सभा के अंत में जोधपुर महाराजा और जनता ने नेहरू को कांग्रेस के चंदे हेतु साठ हजार रुपये की थैली भेंट की।

डाबड़ा हत्याकाण्ड :

31 दिसम्बर 1945 को उदयपुर में पण्डित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय प्रजा परिषद् का अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें रियासती शासकों से बदलती राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप शासन व्यवस्था में सुधार की माँग की गई। इस दबाव के कारण कुछ राजाओं के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा, जिससे ठाकुरों, सामन्तों और जागीरदारों को अपने प्रभुत्व के समाप्त होने का भय होने लगा। इसी बीच 1947 में महाराजा उम्मेद सिंह के निधन के बाद हनुवंत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे, जो सामन्ती व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उनके शासन में सामन्तों का प्रभाव और बढ़ गया तथा किसानों को भूमि से बेदखल किया जाने लगा। इससे किसानों और सामन्तों के बीच संघर्ष तेज हो गया और अत्याचार बढ़ने लगे।

इन परिस्थितियों में मारवाड़ लोक परिषद् के नेताओं ने गाँव–गाँव जाकर किसान सम्मेलन आयोजित किए और किसानों को संगठित कर अन्याय व दमन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर डाबड़ा हत्याकाण्ड जैसी घटनाओं का कारण बनी।

डाबड़ा में पाँच कार्यकर्त्ता शहीद :

डाबड़ा में किसान सम्मेलन के समय लाडनूं तहसील के चुन्नीलाल शर्मा और अन्य किसानों के समूह पहुंचे। अचानक जागीरदार ने अपने सशस्त्र कारिंदों के साथ सम्मेलन स्थल को चारों ओर से घेर लिया और कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में चुन्नीलाल शर्मा के सीने और पैर में तीन गोलियाँ लगीं। कई कार्यकर्ताओं के सिर फट गए और हाथ-पाँव की हड्डियाँ टूट गईं। इस हमले में चुन्नीलाल शर्मा, रामूराम चौधरी, रुंधाराम चौधरी, अलकाराम चौधरी कुचामन (अदकासर) और पन्नालाल डाबड़ा सहित पाँच कार्यकर्ता शहीद हो गए।

इसी समय जोधपुर रियासत का राजनीतिक परिदृश्य भी उलझा हुआ था। जूनागढ़, इन्दौर, हैदराबाद और त्रावणकोर जैसी रियासतें पाकिस्तान में शामिल होने की तैयारी कर रही थीं। 6 अगस्त 1947 को जोधपुर के महाराजा ने जिन्ना से मुलाकात कर स्वतंत्र रियासत की शर्तों के बारे में जानकारी ली। जिन्ना ने महाराजा को आश्वस्त किया कि रियासतें स्वतंत्र इकाई के रूप में सुरक्षित रहेंगी और महाराजा जो शर्तें चाहें, उन्हें लिख सकते हैं, जिन्ना उन्हें मानेंगे।

महाराजा और भारतीय संघ में विलय :

महाराजा हनुवंत सिंह ने जिन्ना से मिलने के बाद पेन पिस्टल तानकर अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन वी. पी. मेनन ने उन्हें समझाया कि धमकियों से जोधपुर का भारतीय संघ में शामिल होना नहीं रुकेगा।

स्वतंत्रता दिवस :- 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। महाराजा ने 15 और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और स्टेडियम मैदान में विशाल समारोह आयोजित किया।

जोधपुर का भारतीय संघ में विलय :- वी. पी. मेनन और सरदार पटेल के प्रयासों से जोधपुर भारतीय संघ में शामिल हुआ। महाराजा का सरदार पटेल के साथ व्यक्तिगत संबंध मधुर हो गए और पटेल का जोधपुर राजघराने में प्रभाव बढ़ा।

रियासती समाचारपत्र :- 1948 में 'रियासती' समाचारपत्र ने महाराजा की जिन्ना से मुलाकात का समाचार प्रकाशित किया, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई। प्रधान संपादक सुमनेश जोशी और संपादक प्रहलाद जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए।

राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था :- स्वतंत्रता के बाद राजस्थान प्रदेश के प्रधानमंत्री पद के लिए पं. हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया। 7 अप्रैल 1949 को शास्त्री मंत्रिमंडल में जोधपुर के राव राजा हनुवंत सिंह, नरसिंह कछवाह और फूलचन्द बाफना भी शामिल हुए। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जोधपुर राज्य वृहद् राजस्थान में विलीन हो गया।

निष्कर्षत: जोधपुर राज्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 में आउवा क्रांति के दौरान स्थानीय ठाकुरों और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता दिखाई, हालांकि बाद में अंग्रेजों ने गढ़ नष्ट कर दिया और कई क्रांतिकारियों को फाँसी दी। बीसवीं सदी में सामंती अत्याचार और राजकीय अन्याय के विरोध में मरुधर मित्र हितकारी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना हुई। इन आंदोलनों में कर सुधार, प्रशासनिक अन्याय के विरोध, गिरफ्तारियाँ, भूख हड़तालें और हिंसक घटनाएँ (जैसे चण्डावल काण्ड, गणगौर काण्ड, बम विस्फोट) शामिल थीं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा हनुवंत सिंह ने भारतीय संघ में विलय स्वीकार किया। वी. पी. मेनन और सरदार पटेल के मार्गदर्शन में जोधपुर राज्य वृहद् राजस्थान में शामिल हुआ और सामंती शासन समाप्त हुआ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बी.एल. पांगड़िया, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, 1950 का दशक, ई-पुस्तकालय संस्करण 2020
2. डॉ. रामगोपाल गोयल, राजस्थान की आजादी की लड़ाई, अजमेरः नवोन्वेषी प्रकाशन, 1986
3. पं. गौरीशंकर हीराचंद चांद, जोधपुर राज्य का इतिहास (भाग 1-2), आरजी ग्रुप, 2018
4. राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी (स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों पर आधारित), राजस्थान राज्य अभिलेख, 2014, 6 खंड
5. गौरीशंकर हीराचंद जैन, जोधपुर राज्य का इतिहास, आरजी ग्रुप, 2018
6. शंकरलाल मिश्र, पश्चिमी राजस्थान का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास, जयपुरः राजस्थान साहित्य अकादमी, 1990
7. डॉ. रामकुमार शर्मा, मारवाड़ में लोक आन्दोलन और प्रजामण्डल, जोधपुरः राजकमल प्रकाशन, 2002
8. सुरेश चंद्र, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रियासतों की भूमिका, दिल्लीः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 1975
9. राधाकृष्ण वर्मा, मारवाड़ में स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलन, जोधपुरः लोकप्रकाशन, 2010
10. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कॉर्स ऑन राजस्थान, नई दिल्लीः भारतीय इतिहास संस्थान, 1946
11. शांति प्रसाद मीणा, जोधपुर राज्य की राजनीतिक क्रान्तियाँ, जोधपुरः मीणा प्रकाशन, 1998
12. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, प्रजामण्डल और लोक परिषद् दस्तावेज, 1934-1945
13. डॉ. भंवरलाल शर्मा, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक दस्तावेज, जयपुरः राजस्थान साहित्य परिषद, 2012
14. हरीश चन्द्र जैन, आउवा क्रान्ति और मारवाड़ के विद्रोह, जोधपुरः हिमांशु प्रकाशन, 2005